International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628
Received: 15-07-2026, Accepted: 16-08-2026, Published: 03-09-2026
Volume 8, Issue 3, 2026, Page No. 112-115

छत्तीसगढ़ की छुईखदान एवं कवर्धा रियासत में भू–राजस्व प्रशासन तथा भूमि बंदोबस्त: एक समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन (1865– 1908)

डॉ. दीपक वर्मा
सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शासकीय रानी अवंती बाई लोधी महाविद्यालय घुमका, राजनांदगांव, छत्तीसगढ, भारत
DOI: https://doi.org/10.66856/ijssh.2026.8.3.8131

सारांश
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों (1865–1908) के दौरान मध्य प्रांत के अंतर्गत आने वाली छत्तीसगढ़ की देशी रियासतों (Feudatory States) में महत्वपूर्ण प्रशासनिक, राजकोषीय एवं संस्थागत परिवर्तन हुए। प्रस्तुत शोध पत्र छुईखदान और कवर्धा रियासतों के भू–राजस्व प्रशासन, बंदोबस्त प्रणालियों, कर संरचनाओं तथा राज्य–मध्यस्थ–कृषक संबंधों का एक समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि छुईखदान में भू–राजस्व प्रणाली काफी हद तक पारंपरिक सामंती व्यवस्था, नजराना प्रथा, विविध उपकरों और श्कठेना भंडारश जैसे करों से संचालित होती रही, जहाँ राजा एवं गोटिया/ठेकेदारों के मध्य राजस्व हिस्सेदारी को लेकर निरंतर तनाव रहा। इसके विपरीत, कवर्धा रियासत में 'नागर' (हल) एवं 'खांडी' जैसी मूल्यांकन पद्धतियों से निकलकर ब्रिटिश तर्ज पर वैज्ञानिक भूमि वर्गीकरण, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण और 12.5% के निश्चित उपकर व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया गया। 1896–1900 के भीषण अकालों के दौरान कवर्धा के बंदोबस्त ने गोंटियाओं के पारिश्रमिक को बढ़ाकर (25%) और 'संरक्षित दर्जा' देकर अधिक स्थायित्व प्रदान किया, जबकि छुईखदान में व्यवस्था के बारम्बार विफल होने से राज्य को गाँवों को 'खाम' (प्रत्यक्ष नियंत्रण) के अंतर्गत लेना पड़ा। यह अध्ययन रियासती छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन सामंती व्यवस्था से औपनिवेशिक–अम्लाशाही प्रशासनिक संरचना की ओर हुए क्रमिक संक्रमण को रेखांकित करता है।

मुलशब्द: भू–राजस्व प्रशासन, भूमि बंदोबस्त, छुईखदान रियासत, कवर्धा रियासत, गौंटिया, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण, कठेना भंडार कर, खांडी एवं नागर प्रणाली

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ (1865–1908) में मध्यप्रांत के अंतर्गत आने वाली छत्तीसगढ़ की देशी रियासतों में प्रशासनिक संरचना का तीव्र आधुनिकीकरण देखा गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक तंत्र ने 'पॉलिटिकल एजेंटों' और औपनिवेशिक प्रशासकों (दीवानों) के माध्यम से मध्य भारत की सामंती व्यवस्था को नियमित, राजकोषीय और वैधानिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया।

इस संदर्भ में छुईखदान (छूईखदान) और कवर्धा रियासतें अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जहाँ एक ओर छुईखदान रियासत में पारंपरिक नजराना प्रथा, गौंटिया केंद्रित व्यवस्था और महंती सामंती प्रभुत्व का प्रभाव रहा, वहीं दूसरी ओर कवर्धा रियासत में 'नागर' (हल) एवं 'खांडी' आधारित मूल्यांकन से निकलकर ब्रिटिश तर्ज पर वैज्ञानिक एवं कैडस्ट्रल (भू–संपत्ति) सर्वेक्षणों को अपनाकर राजस्व प्रशासन को आधुनिक बनाया गया। प्रस्तुत शोध पत्र 1865 से 1908 के मध्य दोनों रियासतों के भू–राजस्व प्रशासन, बंदोबस्त प्रणालियों, कर संरचना तथा कृषक–मध्यस्थ संबंधों का एक समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

छुईखदान रियासत: भू–राजस्व प्रशासन एवं बंदोबस्त का ऐतिहासिक विकास

छुईखदान रियासत में भू–राजस्व प्रशासन का विकास पारंपरिक सामंती नियंत्रण से औपनिवेशिक नियमितीकरण की दिशा में एक क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है।

प्रारंभिक एवं पारंपरिक बंदोबस्त प्रणाली

- **अनुबंधात्मक पट्टा व्यवस्था:** महंत लक्ष्मण दास के प्रारंभिक शासनकाल में गाँवों का पट्टा वर्ष–दर–वर्ष आधार पर दिया जाता था। वर्ष 1875 तक आते–आते त्रिवर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया।
- **ठेकेदारी एवं गोटिया व्यवस्था:** 'ठेकेदार' या 'गोटिया' राज्य और रैयत (काश्तकार) के बीच प्राथमिक मध्यस्थ थे। वे राज्य को रैयती लगान के भुगतान के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी थे। इसके बदले में उन्हें अपने पारिश्रमिक के रूप में 'सीर' भूमि पर खेती करने का अधिकार प्राप्त था।
- **नजराना एवं औपचारिक अनुष्ठान:** बंदोबस्त के प्रारंभ में ठेकेदार को राज्य को 'नजराना' (उपहार/शुल्क) देना अनिवार्य था। नजराना स्वीकार होने पर राज्य द्वारा ठेकेदार को 'पट्टा' के साथ श्पगड़ीश या अन्य सम्मानजनक वस्त्र तथा 'पान बीड़ा' प्रदान किया जाता था, जिसके प्रतिउत्तर में ठेकेदार 'कबूलियत' (स्वीकृति पत्र) निष्पादित करता था।
- **लाखाबाटा प्रणाली :** भूमि के आवधिक पुनर्वितरण और मिट्टी की गुणवत्ता के आनुपातिक संतुलन की प्राचीन परंपरा श्लाखाबाटाश का व्यावहारिक प्रचलन इस अवधि में धीरे–धीरे समाप्तप्राय हो चुका था।

कर संरचना एवं उपकर

छुईखदान में मुख्य नकद लगान के अतिरिक्त कृषकों और ठेकेदारों पर बहुस्तरीय कर आरोपित थेरू

- **कठेना बंधार कर:** प्रत्येक काश्तकार प्रति रुपये लगान पर 2 काठा धान या कोदों राज्य के रसद हेतु देता था।
- **बंधोर घास :** प्रति हल 50 बंडल छप्पर या मवेशी घास राजा को दी जाती थी, जिसे अक्सर राजा के रिश्तेदार ठेकेदार अपने निजी उपयोग हेतु हड़प लेते थे (महंत राधा वल्लभ दास की मृत्यु पश्चात इसे आंशिक रूप से बंद किया गया)।
- **विविध पारंपरिक उपकर:** ठेकेदारों / गौंटिया से दशहरा टीका, पोला टीका, उड़द एवं कोहड़ा टीका, फगुआ टीका,

जोगी बरार, तथा घी टीका वसूला जाता था। इसके अतिरिक्त राजा खादी, पानपियाई, मरोना एवं कलश पूजा, चूड़ी–कर, उघाई/काल्टी तथा मंगठा जैसे कर वसूल करते थे।

- **बुधकार:** 7–8 गाँवों के वृत्त पर नियुक्त यह अधिकारी 2 रुपये प्रतिमाह वेतन तथा गाँवों से आधे मूल्य पर 1 रुपये का अनाज खरीदने के विशेषाधिकार के साथ राजस्व संग्रह का कार्य करता था।

ब्रिटिश हस्तक्षेप एवं बंदोबस्त में प्रशासनिक परिवर्तन (1867–1904)

मिस्टर चिस्म एवं टकोली बंदोबस्त (1867–1887): 1867 में मिस्टर चिस्म द्वारा 20–वर्षीय टकोली बंदोबस्त किया गया। 1887 में इसकी अवधि समाप्त होने पर टकोली बढ़ाई गई। राजा महंत श्याम किशोर दास द्वारा गौंटियों से श्सीरश भूमि का अतिरिक्त किराया मांगने तथा नजराना न देने पर बेदखली के कारण तीव्र असंतोष फैला।

मिस्टर आलम चंद का सुधार (1886): दीवान आलम चंद ने विभिन्न उत्पीड़नात्मक उपकरों को समाप्त कर प्रत्येक गाँव के लिए 5 रुपये की एकमुश्त वार्षिक राशि में परिवर्तित कर दिया।

- **मिस्टर मोहम्मद इस्माइल का संक्षिप्त बंदोबस्त एवं कैडस्ट्रल सर्वेक्षण (1892)**

मूल्यांकन की इकाई 'खांडी' को माना गया।

कुल परिसंपत्तियों का 15–20% हिस्सा ठेकेदार के पारिश्रमिक हेतु छोड़ा गया।

सड़क, स्कूल, पटवारी एवं डाक उपकर को लगान के प्रति रुपये में 2 आने (12.5%) निर्धारित कर श्जमाश में शामिल किया गया।

पानधारी कर (100 रुपये से अधिक आय पर), महुआ वृक्ष कर (2 आने), तथा वनीय गाँवों में प्रति हल 8 आने चराई शुल्क लागू किया गया।

राजा श्याम किशोर दास द्वारा स्वेच्छाचारी ढंग से 'जमा' बढ़ाने के कारण यह बंदोबस्त विफल रहा, जिससे राजा और ठेकेदारों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ तथा राजा ने कई गाँवों को 'खाम' (प्रत्यक्ष राज्य नियंत्रण) के अंतर्गत ले लिया।

- **संरक्षित दर्जा एवं नियमित बंदोबस्त (1897–1898):** महंत राधावल्लभ किशोर दास एवं दीवान पंडित गणपत राव के समय 14 ठेकेदारों को श्संरक्षित दर्जाश (Protected Status) प्रदान किया गया। नियमित बंदोबस्त में सामान्य गाँवों से परिसंपत्तियों का 75–80ः तथा राज–परिवार के गोटियों से 50–70ः जमा निर्धारित किया गया। 1898 से श्कठेना बंधारश को लगभग समाप्त कर दिया गया।

- **1900 का अकाल एवं अंतिम संक्षिप्त बंदोबस्त:** 'अकाल' (1900) के कारण 1898 का बंदोबस्त अप्रचलित हो गया। तदुपरान्त, तत्कालीन परिसंपत्तियों के आधार पर एक संक्षिप्त बंदोबस्त किया गया (अवधि: 31 दिसंबर 1904 तक), जिसमें भू–राजस्व माँग का अनुपात परिसंपत्तियों के 62% से 75% के मध्य पुनर्निर्धारित किया गया।

कवर्धा रियासत: भू–राजस्व प्रशासन एवं बंदोबस्त का ऐतिहासिक विकास

कवर्धा रियासत का राजस्व प्रशासन इस अवधि में प्राचीन भूमि–मूल्यांकन विधियों से आरंभ होकर पूर्ण कैडस्ट्रल एवं ब्रिटिश–शैली के वैज्ञानिक वर्गीकरण की ओर अग्रसर हुआ।

प्रारंभिक मूल्यांकन प्रणालियाँ एवं पारम्परिक प्रशासनिक ढाँचा

- **नागर (हल) प्रणाली:** कवर्धा में मूल्यांकन की प्राथमिक इकाई 'नागर' थी। एक नागर (लगभग 20 एकड़) वह भूमि थी जिसे 2 भैंसों या 4 बैलों द्वारा एक मौसम में जोता जा सके।

- **लाखा बांटा:** विभिन्न श्रेणियों की भूमि का काश्तकारों के मध्य समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर भूमि का पुनर्वितरण किया जाता था।

- **बुधकार:** 5 से 10 गाँवों के वृत्त पर नियुक्त राजस्व अधिकारी, जिन्हें 3 से 4 रुपये वार्षिक, आपराधिक जुर्मानों का एक हिस्सा तथा 'चूड़ी विवाह' पर भेंट मिलती थी।

- **गौंटिया एवं बेगार:** गोंटिया का खुदकाश्त 'सीर' भूमि सामान्यतः मूल्यांकन से मुक्त होता था। गौंटिया को काश्तकारों से जुताई व बुवाई के समय मुफ़्त श्रम (बेगार) प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार था। हालाँकि, गौंटिया का कार्यकाल अनिश्चित था और वह अत्यधिक 'नजराना' देने वाले प्रतिद्वंद्वियों के समक्ष असुरक्षित रहता था।

- **बैगा जनजाति एवं जनजातीय क्षेत्र:** पहाड़ी क्षेत्रों के बैगा लोग नकद जमा के स्थान पर वन उपज देते थे तथा 'दाहिया' (झूम/स्थानांतरित कृषि) करते थे।

पारंपरिक उपकर एवं विविध राजस्व स्रोत

कवर्धा में 'जमा' के अतिरिक्त व्यापक कर–संरचना विद्यमान थी:

- **सामंतवादी उपकर:** दशहरा कर (एक बकरा या नकद), सुआ कर (पार्वती रूपक पर आधारित, राजा की बेटियों के निजी उपयोग हेतु), गाड़ा डोर (गाड़ा व डोर कर), धर्मार्थ कर (मंदिर रख–रखाव कर), तथा भंडारकर (महल के उपयोग के लिए बाजार मूल्य से आधे दाम पर रसद आपूर्ति)।

- **सामाजिक एवं व्यावसायिक कर:** चूड़ी विवाह कर (विवाह पंजीकरण शुल्क), मरोना / मड़वा कर (उच्च जातियों को छोड़कर विवाह मंडप कर), घानी कर (तेलियों पर), मंगठा कर (बुनकरों के करघे पर) तथा पान पियाई (गैर–कृषकों पर)।

- **मुआफ़ी एवं सेवा–भूमि:** लोहार, नाई, राऊत एवं धोबी को सेवा–भूमि तथा धार्मिक संस्थानों/कबीरपंथ को मुआफ़ी भूमि आवंटित थे।

भू–राजस्व में आधुनिकीकरण एवं बंदोबस्त श्रृंखला (1875–1905)

- **'खंडी' प्रणाली का परिचय (रीजेंसी काल):** ठाकुराइन रूपकुँवर के शासनकाल में श्नागरश के स्थान पर श्खंडीश को मूल्यांकन का आधार बनाया गया(1 खंडी भूमि अर्थात् उतनी भूमि जिसमें 20 काठा बीज की आवश्यकता होती हो, यह लगभग 1.40 एकड़ के बराबर मानी गई थी) यह कृषि भूमि के बढ़ते मूल्य और परिपक्व बंदोबस्त व्यवस्था का सूचक था।

बलवंत राव बंदोबस्त (1888)

- कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के उपरांत प्रादेशिक समूहों (Territorial groups) का गठन किया गया तथा मुंगेली, पंडरिया व खैरागढ़ की दरों से तुलना कर प्रति एकड़ दरें तय की गईं।
- गोंटिया/ठेकेदारों को कुल क्षेत्रफल का 20ः तक 'सीर' भूमि रखने की छूट दी गई।

- नजराना एवं समस्त पारंपरिक उपकर समाप्त कर 2 आने प्रति रुपया (12.5%) के निश्चित उपकर (पटवारी, सड़क, डाक, स्कूल व अस्पताल) को 'जमा' के भीतर ही समाहित कर दिया गया।
- 'सुमेली' (वन कर) समाप्त किया गया। बैगाओं पर 1 रुपया प्रति 'टंगिया' (कुल्हाड़ी) कर लगाया गया।
- यह बंदोबस्त पांच वर्ष के लिये था

मि. रामकृष्ण मिश्र का नियमित बंदोबस्त (1893):

- ब्रिटिश क्षेत्रों की तर्ज पर पूर्ण भूमि वर्गीकरण पर आधारित प्रथम 7–वर्षीय बंदोबस्त, जिसने राजस्व में 21% की समग्र वृद्धि दर्ज की।
- कोटवारों हेतु भूमि व अनाज के रूप में व्यवस्थित पारिश्रमिक तय किया गया।
- गोंटियाओं को व्यापक स्तर पर 'संरक्षित दर्जा' प्रदान किया गया तथा गोंटिया का मानक पारिश्रमिक बढ़ाकर 25% किया गया।

अकाल उपरांत पुनरीक्षण (Revision – 1901):

- 1890 के दशक के भीषण अकालों के कारण सकल राजस्व मांग को 86,000 रुपये से घटाकर 75,000 रुपये कर दिया गया।
- इस संशोधित बंदोबस्त की अवधि को अकालीन प्रभावों को देखते हुए 31 दिसंबर 1909 तक विस्तारित किया गया।

छुईखदान एवं कवर्धा रियासत का समीक्षात्मक एवं तुलनात्मक विश्लेषण

मूल्यांकन के आयाम	छुईखदान रियासत	कवर्धा रियासत
प्रारंभिक मूल्यांकन इकाई	त्रिवर्षीय पट्टा एवं आनुपातिक 'नागर' (हल) दर वितरण।	'नागर' (हल) प्रणाली, तत्पश्चात 'खांडी' (1.40 एकड़) प्रणाली।
पारंपरिक पुनर्वितरण	लाखाबाटा प्रणाली (19वीं सदी के उत्तरार्ध तक समाप्त)।	लाखाबाटा प्रणाली (काश्तकारों में भूमि समता हेतु)।
राजस्व बिचौलिए एवं पद नाम	ठेकेदार / गोटिया एवं बुधकार (7–8 गाँवों पर अधिकारी)।	गोंटिया / ठेकेदार एवं बुधकार (5–10 गाँवों पर राजस्व अधिकारी)।
सीर भूमि विशेषाधिकार	ठेकेदारों को सीर भूमि प्राप्त थी; किंतु राजा द्वारा बेदखली का निरंतर भय बना रहता था।	गोंटिया को गाँव की परिसंपत्तियों का 20ः से 25ः तक सीर भूमि प्राप्त था।
पारंपरिक कर एवं उपकर	कठेना भंडार कर, बंधोर घास, नजराना, पोरा/दशहरा टीका, चूड़ी–कर, काल्टी आदि।	दशहरा, सुआ कर, गाड़ा डोर, धर्मार्थ, भंडारकर, चूड़ी विवाह, मंगठा, पन पियाई आदि।
ब्रिटिश कालीन सुधार एवं सर्वेक्षण	मिस्टर इस्माइल (1892) एवं गणपत राव (1897–98) द्वारा कैडस्ट्रल सर्वेक्षण व संक्षिप्त बंदोबस्त।	बलवंत राव (1888) एवं रामकृष्ण मिश्र (1893) द्वारा भूमि वर्गीकरण आधारित पूर्ण वैज्ञानिक बंदोबस्त।
मध्यस्थों को वैधानिक संरक्षण	1890 के दशक के उत्तरार्ध में केवल 14 ठेकेदारों को श्संरक्षित दर्जाश प्राप्त हुआ।	रामकृष्ण मिश्र बंदोबस्त के तहत गोंटियाओं के बड़े वर्ग को श्संरक्षित दर्जाश प्रदान किया गया।
संस्थागत तनाव एवं खाम प्रबंधन	राजा एवं ठेकेदारों के मध्य नजराने व जमा को लेकर अत्यधिक संघर्ष; श्खामश (प्रत्यक्ष राज्य नियंत्रण) का अधिक प्रयोग।	अपेक्षाकृत सुव्यवस्थित संक्रमण; कृषक–गोंटिया संबंधों में स्थायित्व तथा संस्थागत संतुलन।
जनजातीय प्रशासन	जनजातीय राजस्व पृथक्कीकरण के विशिष्ट ऐतिहासिक साक्ष्य सीमित।	बैगा जनजाति हेतु श्टंगिया करश एवं श्दाहियाश कृषि पर विनियम तथा अकाल राहत नीतियाँ।
उपकरों का एकीकरण	आलम चंद व इस्माइल द्वारा 5 रु. नकद या 2 आने प्रति रु. के उपकर तय किए गए।	पटवारी, सड़क, डाक, स्कूल कर (12.5ः) को जमा में पूरी तरह समाहित किया गया।

समीक्षात्मक निष्कर्ष

1865 से 1908 के मध्य छुईखदान और कवर्धा रियासतों में भू–राजस्व प्रशासन का विकास सामंती स्वेच्छाचारिता से औपनिवेशिक–अम्लाशाही (Bureaucratic) नियमितीकरण की ओर स्थानांतरण को निरूपित करता है।

छुईखदान की प्रशासनिक गतिशीलता: छुईखदान में पारंपरिक 'नजराना' व्यवस्था, 'कठेना भंडार कर' और 'बंधोर घास' जैसी शोषक संस्थाएं लंबे समय तक बनी रहीं। राजा और गौंटियों/ठेकेदारों के मध्य राजस्व हिस्सेदारी और बेदखली को लेकर निरंतर तनाव बना रहा, जिसके कारण राज्य को बारम्बार गाँवों का प्रबंधन 'खाम' (प्रत्यक्ष नियंत्रण) में लेना पड़ा। यद्यपि मिस्टर मोहम्मद इस्माइल और दीवान गणपत राव ने कैडस्ट्रल सर्वेक्षणों द्वारा व्यवस्था में सुधार का प्रयास किया, किंतु राजशाही के हस्तक्षेप और 1900 के 'अकाल' ने नियमित बंदोबस्त के पूर्ण कार्यान्वयन को बाधित किया।

कवर्धा का संस्थागत आधुनिकीकरण: छुईखदान के विपरीत, कवर्धा रियासत में राजस्व सुधार अधिक क्रमबद्ध, वैज्ञानिक और प्रगतिशील रहे। रीजेंसी काल में 'खंडी' प्रणाली का अंगीकरण तथा बलवंत राव (1888) एवं रामकृष्ण मिश्र (1893) के बंदोबस्त मध्य प्रांत के ब्रिटिश जिलों की तर्ज पर पूर्ण भूमि वर्गीकरण पर आधारित थे। कवर्धा में गौंटियाओं के पारिश्रमिक को बढ़ाकर 25ः करना, व्यापक स्तर पर 'संरक्षित दर्जा' देना, और 12.5ः उपकरों को 'जमा' में ही समाहित कर देना ऐसे कदम थे जिन्होंने 1896–1900 के अकालों के दौरान कृषकों और मध्यस्थों दोनों को सम्बल प्रदान किया।

अंततः, 1865–1908 का कालखंड छत्तीसगढ़ की रियासती व्यवस्था में एक ऐसे परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है, जहाँ मध्यकालीन सामंती कर–संरचनाओं का उन्मूलन कर आधुनिक भू–संपत्ति सर्वेक्षण, वैधानिक कृषक अधिकार तथा औपनिवेशिक राजकोषीय मानकों की नींव रखी गई।

संदर्भ स्रोत

1. जेनकिंस, रिचर्ड, रिपोर्ट आन द टेरिटरिस आफ द राजा आफ नागपुर, गवर्नमेंट प्रेस, कलकत्ता,1827
2. एगन्यू,पी. वांस, ए रिपोर्ट आन दी सूबा आर प्राविंस आफ छत्तीसगढ़ 1820,गवर्नमेंट प्रेस आफ सेंट्रल प्राविंस,नागपुर, 1915
3. एचीसन, सी.यू., ए कलेक्शन आफ ट्रीटीज इंगेजमेंट्स एंड सनद्स अंक 1,गवर्नमेंट प्रेस,कलकत्ता, 1909
4. माल्कम, जॉन, ए मेमायर्स आफ सेण्ट्रल इण्डिया इंक्लुडिंग मालवा एंड एडजॉयनिंग प्राविंसेस, अंक 2, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1823,
5. रिपोर्ट आफ द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी. पी. एण्ड बरार, गवर्नमेंट प्रेस नागपुर, 1910–11
6. टेम्पल, रिचर्ड, रिपोर्ट आन द जमींदारीस एंड अदर पेटी चीफटेन्सिस 1863, गवर्नमेंट प्रेस,नागपुर (रिप्रिंट 1901)
7. सिन्हा, एच.एन., सिलेक्शन फ्राम नागपुर रेसीडेंसी रिकाड्र्स, 4 खंड, नागपुर 1942,

8. हंटर, डब्ल्यू .डब्ल्यू .द इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया अंक 2, कलकत्ता, 1881
9. द इंपीरियल गजेटियर आफ इंडिया, अंक 10, क्लारेनडान प्रेस, आक्सफोर्ड, 1908
10. डी.ब्रेट, ई.ए.,सेंट्रल प्राव्हिंसेस गजेटियर्स,छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स, टाइम प्रेस, बाम्बे, 1909
11. नेल्सन, ई.ए., सेंट्रल प्राविंस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट,पायनियर प्रेस, इलाहाबाद,1910
12. नेल्सन, ए.ई. सेंट्रल प्राविंस डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट, बैप्तिस्त मिशन प्रेस, कलकत्ता, 1910
13. ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ हिंदी गजेटियर, भाग 1,बस्तर भूषण, अष्टराज अम्भोज, झारखंड झनकार, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2017
14. एस्टन,एस.आर., ब्रिटिश पालिसी टुवार्ड्स द इंडियन स्टेट्स, 1905–1939, रूटलेज पब्लिकेशन,दिल्ली, 1985
15. ब्राउन, ज्यूडिथ, माडर्न इंडिया रू द ओरिजिन ऑफ एन एशियन डेमोक्रेसी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क, 1994
16. बेकर, डी.ई.यू., चेंजिंग पोलिटिकल लीडरशिप इन एन इंडियन प्राविंस : द सेंट्रल प्राविंस एंड बेरार,1919–39,ओ यू पी पब्लिकेशन, दिल्ली,1980
17. बेली, सी.ए., इंडियन सोसायटी एंड द मेकिंग आफ द ब्रिटिश एंपायर, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस,लंदन, 1988
18. बेहार, (डॉ.), रामकुमार, छत्तीसगढ़ का इतिहास, रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,रायपुर, 2018
19. चंदेल, (डॉ.) राकेश कुमार, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, साहित्य संस्थान,गाजियाबाद, 2009
20. चंद्र, विपिन, आधुनिक भारत का इतिहास, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली, 2016
21. दीपक, राजनांदगांव समूह की रियासतों का विलीनीकरण : एक ऐतिहासिक अध्ययन, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, 2026
22. गुप्त, प्यारेलाल, प्राचीन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी रायपुर,2018
23. जेफरी, रॉबिन, प्यूपिल, प्रिंसेस एंड पैरामाउंट पावर रू सोसायटी एंड पोलिटिक्स इन इंडियन प्रिंससली स्टेट्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1978
24. ली–वार्नर, सर विलियम, द नैटिव स्टेट्स आफ इंडिया, मैकमिलन एंड को. लिमिटेड, लंदन,1910
25. मिश्रा, (डॉ.) प्रभु लाल, दक्षिण कोसल का प्राचीन इतिहास, श्रीमती सरला मिश्र समता कालोनी,रायपुर, 2003
26. मिश्र,(डॉ,) प्रभुलाल व आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र, छत्तीसगढ़ अभिलेख छवि, महाकोसल इतिहासपरिषद, रायपुर, 2010
27. मिश्र,(डॉ.) रमेंद्रनाथ, ब्रिटिशकालीन छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक इतिहास, पुस्तक प्रतिष्ठान, रायपुर, 1981
28. नियोगी, अजीत के. द पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसेली स्टेट्स आफ इंडिया 1858–81, के पी बागची कंपनी, कलकत्ता, 1979
29. पन्नीकर, के.एम., द इवोल्युशन आफ ब्रिटिश पालिसी टुवार्डस इंडियन स्टेट्स, 1774–1858, एस के लहिरी, कलकत्ता, 1858
30. पटेल, (डॉ.) सी. आर., सी.पी. रियासतों का विलीनीकरण, बोधि प्रकाशन, जयपुर, 2013
31. राय, (डॉ.) सत्या एम., भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन
32. निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1990
33. शर्मा, गणेश शंकर व (डॉ.) चंद्रशेखर, राजनांदगाँव जिले का सांस्कृतिक वैभव, महावीर आफसेट,रायपुर, 2016
34. शर्मा, सी.एल., छत्तीसगढ़ की रियासतें, छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर 2008
35. शुक्ल, हीरालाल, मध्यप्रदेश का इतिहास, काशी नगरी प्रचारिणी सभा, काशी, 1996
36. शुक्ल, रामलखन, आधुनिक भारत का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 1987
37. शुक्ला, (डॉ.) एस. सी., छत्तीसगढ़ का गौरवपूर्ण इतिहास, स्मृति प्रिंट हाउस, रायपुर, 2014
38. शुक्ला, (डॉ.) सुरेशचंद्र, छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीनीकरण, मातुश्री पब्लिकेशन, रायपुर, 2020
39. सिंह, (डॉ.) शैलेन्द्र, राजनांदगांव रियासत का इतिहास, अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2024
40. सिंह, (डॉ.) शैलेन्द्र, छुईखदान रियासत का इतिहास प्रारंभ से 1953,अध्ययन पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2020
41. सिंह, प्रदुम्न, नागवंश (द्वितीय भाग), वेदांत प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ, 2008
42. शुक्ला, (डॉ.) शांता, छत्तीसगढ़ का सामाजिक – आर्थिक इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1988
43. शील, योगेंद्रनाथ, मध्यप्रदेश और बरार का इतिहास, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, 1922